कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द (राज.)

क्रमांकः 317 दिनांकः 16/9/2026

कार्यालय आदेश

इस न्यायक्षैत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा एन.डी.पी.एस. प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में उनके कार्यालय आदेश क्रमांक 87 दिनांक 03.09.2026 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2017 दिनांक 18.03.2017 की पालना में मुझ जिला एवं सेशन न्यायाधीश से बिना परामर्श/पूर्वानुमति के जारी किये जाने के कारण उक्त आदेश तुंरत प्रभाव से निरस्त किया जाता हैं। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 22 दिनांक 20.11.2003 को यथावत रखा जाता हैं।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

Sd

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
राजसमन्द

क्रमांकः स्था0/2026/3369 दिनांकः 16.09.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर, राजसमन्द
2. श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर
3. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द
4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
5. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीम/देवगढ/नाथद्वारा/राजसमन्द/रेलमगरा
6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, आमेट, कुंभलगढ, नाथद्वारा/राजसमन्द/रेलमगरा
7. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा
8. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
9. संस्थापन शाखा, न्यायालय हाजा
10. कार्यालय प्रति

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
राजसमन्द